



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मार्ग न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मुमार्दासं-389/2016 धारा- 354ए, 452,भारदासं-0 एवं 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मार्ग न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बरदानी पुत्र मुल्ली निवासी मवइया, थाना मौदहा ,जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उमनी रामकिशन
यादव



पैरोकार- थाना मौदहा
कार्यालय शुभम यादव